

प्रक.

जिलेन्द्र कुमार मलिक,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

संयोग में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग / ————— / 2018-19

दिनांक: २५/१२/२०

वेदय— महादेली एकेलमी र्यनपुर भोजपुर तहसील गमाना अलीगढ़ को सी०बी०ए०स०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

होदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2017 दिनांक: 14-07-2009 गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 27.11.2018 में लिये गये निर्णय के अनुपालन के अन्तर्गत सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०ए०स०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिवेद्यों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
3. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए शुरुकित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. शुल्क की मद एवं धनराशि के सम्बन्ध में "उ०प्र०स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अध्यादेश 2018" का अनुपालन किया जायेगा।
6. राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
7. उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

AMW

Principal
Mahadevi Academy
Guyengpur

10. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि कोई ऑफ सैकेपड़ी एजूकेशन, नई दिल्ली/कौसिल फॉर डि इण्डियन स्कूल सटीकी एकजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की विभिन्न से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
11. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रति निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
12. संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी0ए0द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक बच्चे दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
13. स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

पृष्ठांकन संख्या—एस0टी0/५१४७-१३/2018-19 तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1—आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
2—जिलाधिकारी, अलीगढ़।
3—संयुक्त सचिव(शिक्षा-7अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4—शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5—जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
6—प्रबन्धक, महादेवी एकेडमी ग्यनपुर भोजपुर तहसील गमाना अलीगढ़।

3/12/18.
(जितेन्द्र कुमार मलिक)
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

Alh

Principal
Mahadevi Academy
Guyyanpur